छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक-03, रायपुर

Website : www.cghb.gov.in
Email ID : cghbdiv03@yahoo.com

<u>रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आमंत्रण</u>

क्रमांक/कार्य.अभि./नि.शा./ई.ओ.आई./2017 रायपुर, दिनांक.....................

सामान्य आवास योजना सड्डू रायपुर में कॉलोनी वासियों हेतु गार्डन/ उद्यान विकास कार्य (आनुमानित लागत राशि रू. 29.78 लाख) कराया जाना है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित गार्डन का ड्राईंग-डिजाईन, ईस्टीमेंट स्थापना, संचालन, संधारण आदि कार्य सम्मिलित करते हुए इस प्रकार के अनुभवी पंजीकृत संस्था/एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

अनुभवी एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का उपयुक्त श्रेणी में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र तीन वर्ष का आयकर रिटर्न, पेन कार्ड, वाणिज्य कर चूकता प्रमाण पत्र एवं रूपये 5000.00 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक 22.06.2017 को 5.30 बजे तक नियम शर्तों एवं दर ऑफर की प्रति प्राप्त कर सकते है। ई.ओ.आई. प्रस्ताव/दर निर्धारित अंतिम तिथि 23.06.2017 को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समयावधि तक प्राप्त की जावेगी। लिफाफा अ में धरोहर राशि के रूप में रूपये 50,000.00 डी.डी. (जो कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-03 रायपुर के नाम से देय हो) जमा करना होगा एवं लिफाफा ब में तकनीकी ऑफर के रूप में अनुभवी एजेंसी/संस्था द्वारा स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित ड्राईग डिजाईन, ईस्टमेंट, स्थापना, संचालन, संधारण आदि सहित कार्य योजना के साथ में जमा करनी होगी। लिफाफा 'स' में वित्तीय प्रस्ताव/दर प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ई.ओ.आई प्रस्ताव दिनांक 24.06.2017 को 12.00 बजे लिफाफा 'अ' एवं 'ब' (धरोहर राशि तकनीकी बीड) खोली जावेगी। तत्पश्चात् निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले प्रस्तावकर्ता/दरदाता का लिफाफा 'स' (वित्तीय ऑफर) खोले जाने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। ई.ओ.आई. प्रस्ताव/दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त कार्य तथा ई.ओ.आई. से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-03, सड्डू रायपुर के निविदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है, वेबसाईट www.cghb.gov.in में अवलोकनार्थ एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग क्रमांक -3 सड्डू रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग क्रमांक–3, रायपुर

रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना

सामान्य आवास योजना, सड्डू रायपुर में गार्डन/उद्यान विकास कार्य (अनुमानित लागत 29.78 लाख रूपये) किया जाना है । इसके अंतर्गत ड्राईंग डिजाईन, प्राक्कलन, स्थापना, संचालन, संधारण आदि कार्य सम्मिलित करते हुए एकीकृत प्रणाली में पंजीकृत एवं अनुभवी, रूचि के अभिव्यक्ति ऑफर सूचना आंमत्रित की जाती है।

अनुभवी एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का उचित श्रेणी रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र तीन वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, पेन नंबर एवं रूपये .... नकद राशि जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक.............................को ....बजे तक नियम शर्तों एवं दर ऑफर की प्रति प्राप्त कर सकते है । दर ऑफर करने की अंतिम तिथि ....को निविदा पेटी में पर बंद लिफाफा में डालना होगा। लिफाफा 'अ' में धरोहर राशि के रूप में रूपये........ ....जमा करना होगा एवं लिफाफा 'ब' में तकनीकी ऑफर के रूप में अनुभवी एजेंसी/संस्था द्वारा स्थल के सौंन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित ड्राईंग डिजाईन, प्राक्कलन, स्थापना, संचालन, संधारण आदि सहित कार्य योजना के साथ में जमा करनी होगी । लिफाफा 'स' में वित्तीय ऑफर जमा करना होगा।

प्राप्त निविदा दिनांक ....को ....बजे लिफाफा 'अ'एवं 'ब' (धरोहर राशि तकनीकी बीड) खोली जावेगी । तत्पश्चात् निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले दरदाता का लिफाफा 'स' (वित्तीय ऑफर) खोले जाने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी । नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है । दर को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त, वृत्त रायपुर , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। नियम ; शर्ते एवं प्रस्तावित स्थल की जानकारी रायपुर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की वेबसाईट . ... में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग क्रमांक–3, रायपुर

नियम एवं शर्ते

1. कार्य विवरण – निविदाकार को प्रस्तावित स्थल का सौन्दर्यीकरण का कंसेप्ट प्लान, कार्य के आयटमों का स्पेसिफिकेशन, दर विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा एवं स्वीकृत किये गये डिजाईन, ड्राईंग अनुसार स्थल पर निर्धारित अवधि में उच्च गुणवत्त के साथ कार्य पूर्ण करना होगा ।
2. परफार्मेंस गारन्टी के रूप में स्वीकृत राशि की 05% राशि रेाकी जावेगी । जिसका 02 माह का सफलता पूर्वक रखरखाव के पश्चात भुगतान किया जावेगा ।
3. कार्यादेश प्राप्ति के उपरांत 04 माह अवधि के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा ।
4. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत करने/न करने/आंशिक रूप से स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त, वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का होगा।
5. सशर्त निविदा मान्य नही की जाएगी ।
6. सौन्दर्यीकरण स्थल में किसी प्रकार की टुट–फुट, पेड़–पौधे की क्षति होने पर 7 दिवस के अंदर संधारण कर संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा ।
7. अनुबंध अनुसार कार्य न करने पर अनुबंध 15 दिवस का नोटिस पर कार्य समाप्त कर धरोहर राशि राजसात की जाएगी ।
8. 18 वर्ष से कम आयु के कामगार काम पर नही रखे जावेंगे एवं श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
9. कार्य की आवश्यतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकेगी ।
10. निविदाकार को इस प्रकृति का एक कार्य जिसकी लागत रूपये 23.00 लाख (तेवीस लाख) से कम की ना हो, सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करना आवश्यक होगा।
11. निविदाकार को स्थल का परीक्षण कर वर्तमान से भूमि उपलब्धता अनुसार डिजाईन एवं विस्तृत ड्राईंग तथा प्राक्कलन सहित प्रस्तुत करना होगा ।

12. दरे समस्त कर /टैक्स, सर्विस टैक्स, परिवहन स्थापना व्यय सहित दिया जाना अनिवार्य है ।

13. निविदाकार को तकनीकी ऑफर के साथ संलग्न आयटम अनुसार विस्तृत जानकारी जैसे उद्यान/लॉन का एरिया, लैण्ड स्केपिंग, इत्यादि अनुसंगिक कार्यो की स्वीकृत जानकारी मय नक्शा एवं डिजाईन सहित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

14. निविदाकार को लिफाफा 'अ' मे धरोहर राशि का एफडीआर , लिफाफा 'ब' में तकनीकी बीड एवं अनुभव प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर, वाणिज्य कर प्रमाण इत्यादि की नोटराईज प्रमाणित प्रति एवं लिफाफा 'स' में वित्तीय आफर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15. लिफाफा 'अ' 'ब' एवं 'स' लिफाफे के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखना आवश्यक होगा। निर्धारित समय में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग क्रमांक–3, सड्डू, रायपुर के कार्यपालन अभियंता के सम्मुख निविदा पेटी पर बंद लिफाफा में डालना होगा।

16. सर्वप्रथम लिफाफा 'अ' खोला जाएगा, निर्धारित धरोहर राशि प्राप्त होने के उपरांत लिफाफा 'ब' तकनीकी ऑफर खोला जावेगा, सफल निविदाकारों की वित्तीय ऑफर खोलने के पूर्व पृथक से निविदाकारों को सूचना दी जावेगी एवं तिथी निर्धारित की जावेगी एवं निर्धारित तिथी को निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में वित्तीय ऑफर खोला जावेगा ।

17. सफल निविदाकार को अनुबंध हेतु पत्र दिया जावेगा जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना अनिवार्य होगा, समय सीमा में अनुबंध नही किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

18. प्रस्तावित कार्य को संपादित करने हेतु निर्धारित समय सीमा प्रदान की जावेगी । समय सीमा में कार्य पूर्ण नही करने की स्थिति में शेष कार्य के विरूद्ध 2% न्यूनतम अर्थदण्ड के साथ समयवृद्धि प्रदान की जावेगी जिसकी सीमा 60 दिन से अधिक नही होगी।

19. निविदाकार के प्रत्येक चल देयक सुरक्षा निधी के अतिरिक्त 5% की राशि परफारमेंस गारंटी के रूप में रोकी जावेगी जो संधारण का कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित किये जाने के पश्चात वापस की जावेगी ।

20. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

21. निविदा स्वीकृत करने अथवा नही करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त, वृत्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग क्रमांक–3, सड्डू रायपुर